उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-27/2021/ 2523/92-2-2021-09एम/2020
लखनऊ :: दिनांक:: 26 अगस्त 2021

**कार्यालय-ज्ञाप**

जनपद-हरदोई विकास खण्ड-सांडी में अकबरपुर से हसनापुर तक कुल 3.6 कि0मी0 मार्ग में लेपन स्तर तक निर्माण कार्यो की मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 की जांच आख्या में परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रू0 1,82,558.79 हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1380/92-2-2020-09एम/2020 दिनांक 07-09-2020 द्वारा श्री एस0के0 गुप्ता, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-हरदोई के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु मुख्य अभियंता,(प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन के पत्र दिनांक 13-01-2021 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री एस0के0 गुप्ता, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-हरदोई के विरूद्व अनुमोदित आरोप पत्र मय साक्ष्यों सहित जॉच अधिकारी /मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित करते हुये नियमानुसार जॉच कार्यवाही पूर्ण कर निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता,(प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0-लखनऊ द्वारा जॉच आख्या शासन में दिनांक 20-03-2021 को उपलब्ध करायी गयी। अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित कुल 03 आरोपो में से आरोप सं0-2 को पदीय दायित्वों का निर्वाहन न किये जाने हेतु आंशिक रूप से प्रमाणित पाये जाने पर शासन के पत्र दिनांक 24-03-2021 द्वारा अपचारी अधिकारी से उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अभ्यावेदन उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। अपचारी अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 27-05-2021 द्वारा अभ्यावेदन उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं जांच आख्या में पर्यवेक्षीय दायित्वों का निर्वहन न किये जाने हेतु आंशिक रूप से प्रमाणि त पाये गये आरोप सं0-2 के संबंध में प्राप्त अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन के सम्यक परीक्षणोपरान्त पाया गया कि श्री एस0के0 गुप्ता, अधिशासी अभियंता द्वारा निर्माण कार्यो में पर्यवेक्षणीय दायित्वों के निर्वाहन न किये जाने हेतु उत्तरदायी है। अत: शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1380/92-2-2020-09एम/2020 दिनांक 07-09-2020 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही में उन्हें पर्यवेक्षणीय दायित्वों का समुचित निर्वाहन न किये जाने हेतु श्री एस0के0 गुप्ता को निम्नवत **चेतावनी** देते हुये अनुशासनिक जॉच समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

> ''श्री एस0के0 गुप्ता, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड–हरदोई के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में निर्माण कार्यो में पर्यवेक्षणीय दायित्वों का समुचित निर्वाहन न किये जाने हेतु **चेतावनी** दी जाती है। ''

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

**संख्या– 37 /2021/2523 (1)/92-2-2021 तद्दिनांक।**

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- श्री एस0के0 गुप्ता, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-हरदोई द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( राजेन्द्र कुमार सिंह )
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।